पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.18043

==========

शंभू शरण स्वर्गीय गोविंद लाल का पुत्र गाँव-मानपुर निवासी, डाकघर- पुरानी, थाना-गिरियाक, जिला-नालंदा।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना।
4. मुख्य अभियंता, लघु, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. अधीक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन प्रभाग, पटना।
6. कार्यकारी अभियंता, लघु जल संसाधन प्रभाग, नालंदा।

.... उत्तरदातागण

==========

प्रार्थी को 21 मार्च 1979 को कनिष्ठ सिंचाई विभाग में नियुक्त किया गया था और वह कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, नालंदा, में काम करते हुए 31 जनवरी 2012 को सुपरान्यूएट हुआ था। - सेवा के दौरान उन्हें 09 अगस्त 1999 और 02 सितंबर 2007 को प्रथम और द्वितीय ए. सी. पी. प्राप्त हुआ था, 20 अगस्त 2011 को आदेश पत्र जारी किया गया था - फिर प्रार्थी को 21 मई 2015 को पत्र जारी कर 29 अगस्त 2011 से तृतीय ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ भी प्रदान किया गया था - इसके बाद उक्त आधार पर वेतन निर्धारण भी किया गया था - 31.01.2012 को सुपरान्यूएट होने के बाद पेंशन निर्धारण भी किया गया था - इसके बाद आदेश दिनांक 07.08.2021 के द्वारा पहली ए.सी.पी./दूसरी ए.सी.पी./और तीसरी एम.ए.सी.पी. के प्रदान किए गए लाभ को वापस ले लिए गया और प्रार्थी को दिए गए अतिरिक्त राशि को वसूलने के लिए भी आदेशित किया गया है - इसलिए यह रिट याचिका।

उत्तरदाता राज्य ने भी काउंटर-अफिडेविट दाखिल किया है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रार्थी ने विभागीय परीक्षा अंततः 17.01.2010 को पास की थी, इसलिए उसे उस तारीख से लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए पूर्व के आदेश को समीक्षा किया गया है और वसूली का आदेश जारी किया गया है।

वर्तमान मामले पर पूर्व मे ही माननीय उचतम नयालय एवं इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए, जैसा कि यह पहले से ही इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य बनाम राम सुभाग सिंह के मामले में फैसले किए गए है कि विभागीय परीक्षा का असफल होना किसी भी कालबद्ध प्रोमोसन/ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के लाभ प्राप्त करने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने रफीक मसीह और अन्य व मामले में भी यह निर्णय दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जा सकती है। इसलिए दिनांक 07.08.2021 का आपत्तिजनक आदेश कानून की दृष्टि से अस्थायी है - इसलिए निरस्त किया गया है - उत्तरदाताओं को निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी वसूली की गई है तो प्रार्थी से चार हफ्तों के अंदर वापस भुगतान की जाए।

रिट याचिका स्वीकृत की गयी।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.18043

==========

शंभू शरण स्वर्गीय गोविंद लाल का पुत्र गाँव-मानपुर निवासी, डाकघर- पुरानी, थाना-गिरियाक, जिला-नालंदा।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना।
4. मुख्य अभियंता, लघु, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. अधीक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन प्रभाग, पटना।
6. कार्यकारी अभियंता, लघु जल संसाधन प्रभाग, नालंदा।

.... उत्तरदातागण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री मुकुल प्रसाद, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः श्री कपिलेश्वर प्रसाद यादव, जीपी-11

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीखः 06-03-2024

वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई हैः-

"1. कि याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका को उत्प्रेशन (शर्थिभोरकी) या किसी अन्य रिट या रिट की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट तथा आदेश जारी करने हेतु दायर किया है और मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र संख्या 976 दिनांक 07.08.2021 को रद्द करने की प्रार्थना किया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को अनुलग्नक-5 के माध्यम से दी गई दूसरी ए. सी. पी. और तीसरी ए. सी. पी. को वापस ले लिया गया है और याचिकाकर्ता को किए गए अतिरिक्त भुगतान को एकमुश्त राशि में वसूल करने का निर्देश दिया गया है और याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या-125 में मिलता है। और अनुलग्नक-1 और 2 की बहाली के लिए जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 2.9.2007 और 29.2.2021 से प्रभावी दूसरी और तीसरी ए. सी. पी. का लाभ दिया गया है और सेवा अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली पर रोक लगाने के लिए आगे के निर्देश के लिए भी। "

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को लघु सिंचाई विभाग में 21.3.1979 को नियुक्त किया गया था और वह पत्राचार क्लर्क के रूप में काम करते हुए लघु सिंचाई विभाग, नालंदा के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय से 31.1.2012 को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा दिनांकित 20.08.2011 के पत्र द्वारा प्रथम और

द्वितीय ए. सी. पी. का लाभ दिया गया था, जो क्रमशः 09.08.1999 और 2.9.2007 से प्रभावी था। इसके बाद याचिकाकर्ता को 29.8.2011 से प्रभावी तृतीय एसीपी/एमएसीपी का लाभ दिया गया। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के वेतन का निर्धारण लेखा कार्यालय, नालंदा से उचित सत्यापन के बाद किया गया था और इसे लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से यानी 17.1.2010 से दिनांकित 28.09.2011 पत्र के द्वारा प्रभावी किया गया था। अब, याचिकाकर्ता की 31.01.2012 को सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता की पेंशन निर्धारित करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 7.8.2021 को एक कार्यालय आदेश जारी किया है, जिससे और जिसके तहत पहले के आदेशों, प्रथम एसीपी/द्वितीय एसीपी और तृतीय एमएसीपी के लाभों को वापस ले लिया गया है और याचिकाकर्ता को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली करने का निर्देश दिया गया है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह और अन्य** का मामला **(2015) 4 एस. सी. सी. 334** में निर्धारित कानून को देखते हुए कानून में अस्वीकार्य है।

3. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए कहा है कि ए. सी. पी./एम. ए. सी. पी. योजना के लाभ प्रदान करने के लिए विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना एक पूर्व-आवश्यकता है और चूंकि याचिकाकर्ता ने अंत में 17.01.2010 को पर विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इसलिए वह उक्त तिथि से एम. ए. सी. पी. के लाभ प्राप्त करने का हकदार है, न कि उससे पहले की तारीख से, इसलिए याचिकाकर्ता को ए. सी. पी./एम. ए. सी. पी. के लाभ प्रदान करने वाले पिछले आदेशों की समीक्षा की गई है और याचिकाकर्ता को दी गई वेतन की अतिरिक्त राशि वसूली की मांग की गई है।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

5. इस न्यायालय ने पाया कि विचाराधीन मुद्दे के संबंध में एकीकृत नही है, क्योंकि इस न्यायालय की विद्वान खंड पीठ ने **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम सुभग सिंह** (एल.पी.ए. सं. 4/2021) के मामले में, **2022(2) पी.एल.जे.आर.773**, में दिनांक 11.05.2022 के निर्णय द्वारा यह माना है कि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करना समयबद्ध पदोन्नति ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के लाभ प्रदान करने में बाधा नही होगी। वास्तव में मामले के इस पहलू को भी माननीय न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अंजनी कुमार**, प्रतिवेदित **2012 (2) पी.एल.जे.आर. 643**, के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एस.एल.पी.(सी) सं.- 19182/2013 में पारित दिनांक 10.03.2014 के आदेश द्वारा बरकरार रखा है। इस संबध में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्रीमति जीवछी देवी**, प्रतिवेदन **2020 (2) बी.एल.जे. 471** के मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जाना चाहिए जिसे प्रतिवादी राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के मद्देनजर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्रीकृष्ण सिंह एवं अन्य**, (एल.पी.ए. सं.- 372/2019) के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लेना भी उतना ही लाभदायक होगा। **अमरेश कुमार सिंह** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले में कहा गया है कि ए. सी. पी. का लाभ, जो विशुद्ध रूप से और सरलता से किसी भी उच्च पद पर किसी भी पदोन्नति को प्रभावित किए बिना मौद्रिक लाभ देने की प्रकृति में है, को अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने के लिए रोका नहीं जा सकता है, इसलिए ए. सी. पी./एम. ए. सी. पी. के लाभ देने के उद्देश्यों के लिए, किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है।

6. इस प्रकार, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को आश्वासन कैरियर प्रगति योजना के साथ-साथ एम. ए. सी. पी. योजना का भी लाभ दिया जाना चाहिए, इस

तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता ने विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, यदि उसे पदोन्नत नहीं किया गया है, ताकि स्थिरता की समस्या से निपटा जा सके।

7. इस न्यायालय ने आगे पाया कि वसूली के संबंध में कानून अब अनिर्जीत नहीं है, क्योंकि **रफीक मसीह और अन्य** (ऊपर) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं की जा सकती है। इस संबंध में, अनुच्छेद संख्या- 18 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा। **रफीक मसीक़ और अन्य** (ऊपर) के मामले में दिए गए उपरोक्त निर्णय को, नीचे दिया गया हैः-

> *"18. कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाली वसूली का मुद्दा, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से भुगतान किया गया है, में कठिनाई की सभी स्थितियों को अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है, चाहे जो भी हो, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगीः*
>
> > *(i) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (या समूह सी और समूह डी सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।*
> >
> > *(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उन कर्मचारियों से वसूली जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वसूली के क्रम से।*
> >
> > *(iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।*
> >
> > *(iv) ऐसे मामलों में वसूली जहां एक कर्मचारी को गलत तरीके से एक उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, और उसी के*

अनुसार भुगतान किया जाता है, भले ही उसे एक निम्न पद के खिलाफ काम करने के लिए उचित रूप से आवश्यक किया जाना चाहिए था।

(v) किसी भी अन्य मामले में, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाना होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी। "

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा पारित दिनांकित 07.08.2021 का आदेश कानून की नजर में अरक्षणीय है, इसलिए, रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी अधिकारियों को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता से की गई वसूली, यदि कोई हो, को वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

9. रिट याचिका की अनुमति है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

अजय/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।